कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोण्डा

पत्रसंख्या–डीजल/पेट्रोलपम्प/एफएस/2015 दिनॉक–जूलाई 8, 2015

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

विषय:–प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प ग्राम–गोंदीपुर, थाना–देहात कोतवाली, परगना–बलरामपुर तहसील–बलरामपुर जनपद – बलरामपुर में गाटा संख्या – 388 ख बलरामपुर–उतरौला रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिटेल आउटलेट (नये पेट्रोल पम्प) स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–472/आयुध लिपिक (जॉच–आख्या)/2015 दिनॉक–29–06–2015 के अनुपालन में प्रस्तावित डीजल/पेट्रोल पम्प ग्राम–गोंदीपुर, थाना–देहात कोतवाली, परगना–बलरामपुर, तहसील–बलरामपुर, जनपद–बलरामपुर में गाटा संख्या–388 ख बलरामपुर–उतरौला रोड पर स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नये पेट्रोल पम्प स्थापना स्थल का प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बलरामपुर द्वारा अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया । उनकी निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थल सुरक्षित पाया गया , तथा स्थल तक अग्निशमन के वाहन सुगमता पूर्वक आवागमन कर सकते है ।

<u>निम्नलिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।</u>

1–डी0सी0पी0/ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–10 कि0ग्रा0–08 अदद ।
2–सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–4.5 कि0ग्रा0–02 अदद ।
3–फायर बकेट–08 अदद ।
4–बेल्चा–02 अदद ।
5–धूम्रपान निषेध बोर्ड – एक अदद ।
6–बालू–4X4X4 घनफिट ।
7–समर्सेबुल पम्प एवं पानी के का टैंक स्थापित किया जाय ।
8–फायर स्टेशन गोण्डा का टेलीफोन नम्बर–101, 05232–234201, 9454418820 की पट्टिका एक अदद ।

भण्डारण प्रारम्भ करने से पूर्व उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण कराते हुए पुनः अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा एवं प्रत्येक वर्ष स्थापित अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु उपकरणों की रिफलिंग/टेस्टिंग कराया जाना आवश्यक होगा ।

अतएव उपरोक्त प्रतिबन्धों के आधार पर डीजल/पेट्रोल पम्प के आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है ।

8/7/15

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोण्डा

प्रतिलिपि:–1–प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बलरामपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।